राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

मोतीराम | धासीराम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	319/2020	225
02/9/20	कार्यालय रिपोर्ट होकर पत्रावली आज प्रस्तुत हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर करे। अधिवक्ता अपीलांट उपस्थित। अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर प्रार्थना पत्र स्थगन सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा एवं दावे की प्रतियों एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिकाओ के अवलोकन से यह स्पष्ट है की अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल्यत: प्रकरण तकास्मा का है एवं सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश जैर अपील दिनांक 17/02/2016 के माध्यम से विवादग्रस्त भूमि की मौके की यथास्थिति बनाये रखने एवं नवीन निर्माण व बैचान नही किये जाने मात्र मे आदेश प्रदान किये गये थे। जिसके सन्दर्भ में दौराने बहस अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपनी खाते की आराजीयात के सन्दर्भ में बैंक से ऋण प्राप्त करने में आदेश जैर अपील के द्वारा बाधा उत्पन होना मात्र जाहिर किया गया है एवं इसी पीड़ा की वजह से आदेश जैर अपील दिनांक 17/02/2016 के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत करना उनके लिये आवश्यक होने का कथन किया गया है। जबकि आदेश जैर अपील दिनांक 17/02/2016 के जरिये सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादग्रस्त भूमि के सन्दर्भ में मौके की यथास्थिति बनाये रखने एवं नवीन निर्माण व् बैचान नही किये जाने के आदेश मात्र दिये गये है। जिससे स्पष्ट है की अपीलांट द्वारा अपने खाते की आराजीयात के सन्दर्भ में बैंक से ऋण प्राप्त करने में आदेश जैर अपील दिनांक 17/02/2016 कोई बाधा/रोक उत्पन नहीं करता है। ऐसी परिस्थिति में अपीलार्थी द्वारा दौराने बहस आदेश जैर अपील के सन्दर्भ में उठाई गयी आपत्ति आधारहीन प्रतीत होती है। अत: प्रकरण की इस स्टेज पर प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर अपील अपीलार्थी आधारहीन प्रतीत होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 02/09/2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर